भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 844

दिनांक 23 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

तमिलनाडु में जल शक्ति परियोजनाएं

844. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

श्री तमिलसेल्वन थंगा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) थेनी जिले सहित दक्षिणी तमिलनाडु में चल रही जल शक्ति परियोजनाओं से अनुमानित सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कभी वैगई नदी बेसिन में जल-भंडारण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रस्तावों की जांच की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार थेनी जिले सहित तमिलनाडु में किसानों को सेवा प्रदान करने वाले नहर नेटवर्क और जल-वितरण प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए कोई तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने थेनी और थेनी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के पड़ोसी जिलों में जल-उपयोग दक्षता और सूक्ष्म सिंचाई के दायरे को बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): जल, राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार की भूमिका चल रही योजनाओं के अंतर्गत चिन्हित परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता और आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) घटक के अंतर्गत तमिलनाडु में एक प्रमुख सिंचाई परियोजना नामत "तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और थूथुकुडी ज़िलों

में तामिराबरानी, कारुमेनियार और नाम्बियार नदियों को आपस में जोड़कर कन्नडियन चैनल से साथनकुलम और थिसयानविलई जैसे सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों तक बाढ़ का पानी ले जाने वाली नहर का निर्माण" को शुरू किया गया है। इस परियोजना के लिए 34.7425 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है, और इसके कार्य पूरा होने की सूचना दी गई है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी) घटक के अंतर्गत, तमिलनाडु में 645 जल निकायों/टैंकों का पुनरूद्धार किया गया है, जिसमें थेनी जिले में एक जल निकाय/टैंक शामिल है। इन जल निकायों/टैंकों के लिए 223.55 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है, और 571 जल निकायों/टैंकों के कार्य पूरा होने की सूचना दी गई है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, तमिलनाडु में 90.88 लाख ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के अंतर्गत नल जल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, थेनी जिले को हर घर जल प्रमाणित जिले के रूप में प्रमाणित किया गया है अर्थात जिले के सभी ग्रामीण परिवारों के पास अपने घर में नल जल के कनेक्शन हैं।

(ख): तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वैगई नदी बेसिन में जल भंडारण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के प्रस्तावों की राज्य सरकार द्वारा जांच की गई है। एक प्रमुख प्रस्ताव गाद के कारण कम हो चुकी भंडारण क्षमता के पुनरूद्धार के लिए वैगई जलाशय से गाद निकालने और उसके पुनरूद्धार से संबंधित है, जिसे आवश्यक सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जाना है।

(ग): तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नाबार्ड, राज्य द्वारा वित्तपोषित व्यापक जल संसाधन विकास कार्यक्रम (सीडब्ल्यूआरडीपी) और तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (टीएनआईएएमपी) जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नहर प्रणाली और वितरण प्रणालियों के आधुनिकीकरण और पुनर्वास का कार्य-निष्पादन किया गया था।

(घ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) योजना को पहले पीएमकेएसवाई के अंतर्गत और अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत कार्यान्वित कर रहा है। पीडीएमसी सूक्ष्म सिंचाई अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल-उपयोग दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2015-16 से तमिलनाडु में 13,73,812 हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया है।
